सत्यमेव जयते

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति एवं रणनीति

अनुक्रमाणिका

I. परिचय 2

II. आतंक की रूपरेखा 3

III. आतंकवाद-रोधी रणनीति 4

1. आतंकवादी हमलों की रोकथाम 4
2. प्रतिकार्य 5
3. क्षमताओं का एकत्रीकरण 5
4. मानवाधिकार एवं विधि आधारित प्रक्रियाएं 6
5. आतंकवाद को पोषण देने वाली परिस्थितियों को कम करना 6
6. अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित करना और उन्हें आकार देना.....7
7. समग्र-सामाजिक प्रयासों के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और स्थिति-स्थापन.....7

IV. आगामी कार्य योजना 8

परिचय

भारत कई दशकों से आतंकवाद के विरुद्ध चल रही लड़ाई में अग्रणी रहा है। यद्यपि खतरों की प्रकृति बदलती रही है एवं नई चुनौतियां भी सामने आती रही हैं, किन्तु भारत सदैव आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का निरंतर विरोध करता रहा है।

भारत के निकटवर्ती देशों में यदा कदा अस्थिरता का इतिहास रहा है, जिसके कारण प्रायः शासनहीन क्षेत्र निर्मित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों के कुछ देशों ने कभी-कभी आतंकवाद को राज्य-नीति के साधन के रूप में उपयोग किया है। इसके बावजूद, भारत आतंकवाद को किसी विशेष संप्रदाय, जातीयता, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ता। भारत ने सदैव आतंकवाद और किसी भी कर्ता द्वारा, किसी भी घोषित या अघोषित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, इसके उपयोग की स्पष्ट एवं निःसंदेह रूप से निंदा की है।

भारत सदैव आतंकवाद के पीड़ितों के साथ खड़ा रहा है तथा उसका यह दृढ़ विश्वास है कि विश्व में हिंसा को किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। **यह वह सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो ,भारत की आतंकवाद के विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' की नीति को प्रदर्शित करता है।**

भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति '**प्रहार**', इन आदर्शों से प्रवाहित होती है, जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है : -

- भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा हेतु आतंकवादी हमलों की रोकथाम;
- खतरे के अनुरूप त्वरित एवं आनुपातिक प्रतिकार्य;
- समग्र-सरकारी दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित करने हेतु आंतरिक क्षमताओं का एकत्रीकरण;
- खतरों के शमन हेतु मानवाधिकार एवं 'विधि के शासन' पर आधारित प्रक्रियाएँ;
- कट्टरपंथ सहित आतंकवाद को पोषण देने वाली परिस्थितियों को कम करना;
- आतंकवाद का सामना करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित करना और उन्हें आकार देना;
- समग्र-सामाजिक प्रयासों के माध्यम से पूर्ववत स्थिति को प्राप्त करना।

आतंक की रूपरेखा

भारत लंबे समय से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित रहा है, जिसमें जिहादी आतंकवादी संगठन, तथा उनके सहयोगी संगठन, भारत में आतंकवादी हमलों की योजना बनाते, समन्वय करते, सुविधा प्रदान करते और उन्हें अंजाम देते रहे हैं। भारत वैश्विक आतंकवादी समूहों, जैसे अल-कायदा तथा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के निशानों पर रहा है, जो स्लीपर सेल के माध्यम से हिंसा भड़काने का प्रयास करते रहे हैं।

विदेशी धरती से सक्रिय हिंसक चरमपंथियों ने, आतंकवाद को बढ़ावा देने हेतु षड्यंत्र रचे हैं। सीमा पार से उनके संचालक पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने और हमलों को अंजाम देने हेतु, अक्सर ड्रोन जैसी अन्य नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हैं। आतंकवादी समूह भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और उन्हें सुगम बनाने हेतु, संभारिकी और भर्ती हेतु संगठित आपराधिक तंत्रों की अधिक से अधिक सहायता ले रहे हैं।

आतंकवाद का प्रचार, संचार, वित्तपोषण तथा हमलों की योजना बनाने में, ये आतंकवादी समूह, सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के साथ-साथ 'इंस्टेंट मैसेजिंग ऍप्लिकेशन्स' का भी उपयोग करते हैं। एन्क्रिप्शन, डार्क वेब, क्रिप्टो वॉलेट इत्यादि जैसी तकनीकी प्रगति ने इन समूहों को गुमनाम रूप से काम करने में सहायता दी है।

सीबीआरएनईडी (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु, विस्फोटक, डिजिटल सामग्री) तक पहुंच और उपयोग करने के आतंकवादी प्रयासों को रोकना, आतंकवाद-रोधी संस्थाओं हेतु एक चुनौती रहती है। राज्य तथा गैर-राज्यीय तत्वों द्वारा घातक उद्देश्यों हेतु ड्रोन एवं रोबोटिक्स का दुरुपयोग करने का खतरा, एक चिंता का विषय बना हुआ है एवं आपराधिक हैकर्स तथा कुछ राष्ट्र, साइबर हमलों के माध्यम से भारत को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं।

आतंकवाद-रोधी रणनीति

1. आतंकवादी हमलों की रोकथाम

भारत आतंकवादी खतरों को रोकने और उनका मुकाबला करने हेतु अग्रसक्रिय पद्धति अपनाता है। यह पद्धति प्राथमिक रूप से: 'आसूचना मार्गदर्शित' है, जिसमें संकट को अप्रभावी करने हेतु आसूचना एकत्रित करने तथा कार्यकारी संस्थाओं तक उसे प्रसारित करने को प्राथमिकता दी जाती है। आसूचना ब्यूरो (IB) में संयुक्त आसूचना कार्य बल (JTFI) के साथ-साथ, बहु-संस्था केंद्र (MAC) का प्रचालन, देश-भर में आतंकवाद से संबंधित जानकारियों के कुशल एवं वास्तविक समय पर साझाकरण, तथा उत्तरगामी व्यवधानों के निवारण हेतु मुख्य मंच बना हुआ है। आसूचना ब्यूरो में MAC/ JTFI तंत्र के अंतर्गत, केंद्रीय संस्थाओं एवं राज्य पुलिस बलों के साथ आतंकवाद-रोधी परिचालनों हेतु, घनिष्ठ साझेदारियां निर्मित की गई हैं।

आतंकवादी तथा हिंसक चरमपंथी, संचार, भर्ती, जिहाद के महिमामंडन एवं अन्य आतंकी गतिविधियों हेतु इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं। भारतीय विधि प्रवर्तन संस्थाएं ऐसी साइबर गतिविधियों, आतंकवादी समूहों के ऑनलाइन तंत्र तथा उनके प्रचार/भर्ती को अग्रसक्रिय रूप से बाधित करके इंटरनेट के दुरुपयोग का मुकाबला करने हेतु निरंतर कटिबद्ध हैं। विधि प्रवर्तन संस्थाएं नियमित रूप से ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) की इकाइयों को भी बाधित करती हैं, जो आतंकवादियों को संभारिकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

हाल के दिनों में, अवैध हथियार गिरोह तथा आतंकवादी समूहों के मध्य सांठगांठ उभर कर सामने आई है, तथा इससे निपटने हेतु, विभिन्न भारतीय राज्यों में संबंधित विधि प्रवर्तन संस्थाओं के साथ मिलकर, आसूचना अभिकरणों द्वारा समन्वित हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। भारतीय कानूनों के अधीन विधिक ढांचे के माध्यम से आतंकी वित्त पोषण तंत्र को बाधित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

भारत को तीनों मोर्चों अर्थात जल, थल और वायु पर आतंकवादी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करने वाले बल (रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) तथा आप्रवासन प्राधिकारी, भारतीय सीमाओं की सुरक्षा हेतु अत्याधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से लैस हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे बिजली, रेलवे, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा को राज्य/गैर-राज्य कर्ताओं से सुरक्षित रखने हेतु विभिन्न क्षमताएँ विकसित की गई हैं।

2. प्रतिकार्य

कोई भी हमला होने पर स्थानीय पुलिस सबसे पहले जवाबी कार्रवाई करती है, तथा उसे राज्य तथा केंद्र के विशेषीकृत आतंकवाद-रोधी बलों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आतंकवादी खतरे की दृष्टि से, संवेदनशील राज्यों ने, आतंकी हमलों का जवाब देने हेतु विशेष आतंकवाद-रोधी बल गठित किये हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (NSG) गृह मंत्रालय के अधीन मुख्य राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी बल है, जो बड़े आतंकी हमलों का जवाब देने में राज्य बलों की सहायता के अतिरिक्त, राज्य बलों की क्षमता निर्माण हेतु भी काम करता है।

आतंकी हमले का जवाब देना एक बहु-हितधारक अभ्यास है जिसमें केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न संस्थायें सम्मिलित होती हैं। गृह मंत्रालय द्वारा शीर्ष स्तर पर समन्वय हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है, जिसमें मैक मंच के माध्यम से आसूचनाओं का प्रसार, विश्लेषण तथा अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) नियमित रूप से राज्यों में तैनात किए जाते हैं और ये बल कानून एवं व्यवस्था के अनुरक्षण तथा आतंकवाद-रोधी अभियानों सहित कई प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) एवं राज्य पुलिस भारत में आतंकवाद-रोधी अन्वेषण करते हैं एवं इन अन्वेषणों की उच्च अभियोजन दर भविष्य में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगाती है।

3. क्षमताओं का एकत्रीकरण

सुरक्षा एवं विधि प्रवर्तन संस्थाओं का आधुनिकीकरण, आतंकवाद-रोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आतंकवाद-रोधी संस्थाओं के नवकौशल एवं रणनीतिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त, नवीनतम उपकरण, प्रौद्योगिकी तथा शस्त्रों का नियमित अधियाचन किया जाता है। आतंकवादी स्थितियों पर प्रतिक्रिया के सर्वोत्तम उपायों पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, प्रशिक्षण संकायों को उन्नत करने के अतिरिक्त, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं बुनियादी ढांचों को, और आधुनिक बनाने हेतु प्रयास किए गए हैं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) द्वारा राज्यों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर, राज्य पुलिस तथा सीएपीएफ के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है। एनएसजी द्वारा दिया जाने वाला शहरी युद्ध प्रशिक्षण (अर्बन कॉम्बेट ट्रेनिंग) विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आतंकवाद-रोधी बलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

बहु-संस्था वातावरण में, प्रक्रियाओं तथा कार्यप्रणालियों के मानकीकरण से समान एवं सहक्रियात्मक प्रतिक्रियाएं सुनिश्चित होती हैं तथा इसके साथ-साथ राज्यों में एक समान आतंकवाद-रोधी संरचना बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। संसाधनों की कमी की पहचान करके तथा आवश्यक प्रतिउपाय सुझाकर विभिन्न विधि प्रवर्तन एवं आतंकवाद-रोधी संस्थाओं की समग्र क्षमताओं को बढ़ाया गया है।

4. मानवाधिकार एवं विधि आधारित प्रक्रियाएँ

भारतीय विधि व्यवस्था में, आतंकवाद-रोधी कानूनों सहित, मानवाधिकारों को उचित महत्व दिया गया है। भारत 'विधि के शासन' की नीति का पालन करता है, जहाँ कानून न्यायसंगत हैं, समान रूप से लागू होते हैं, तथा मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। इसके अतिरिक्त, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, विशेष रूप से भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों का निपटान करता है। यह उल्लेखनीय है कि, भारत 'इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स' की पुष्टि करने के अतिरिक्त, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 का भी हस्ताक्षरकर्ता है।

आतंकवाद से संबंधित अपराधों के निवारण हेतु विशेष अधिनियम लागू किये गए हैं। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 भारत में आतंकवाद से निपटने हेतु प्रमुख विधिक तंत्र है, जिसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, शस्त्र अधिनियम, 1959 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 जैसे कई अन्य अधिनियम, सम्पूरित करते हैं।

जिलों से लेकर राज्यों, तथा केन्द्रीय स्तर पर उच्चतर न्यायपालिका तक, न्याय प्रणाली के विस्तृत ढांचे के माध्यम से, किसी भी अभियुक्त को विधिक निवारण के कई स्तर उपलब्ध हैं। विधि की उचित प्रक्रिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विस्तृत आयाम प्रदान करती है। दृढ़ और स्वतंत्र आपराधिक न्याय प्रणाली यह सुनिश्चित करती है, कि सभी का उचित पक्षधारण हो तथा उन्हें वहनीय विधिक सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त, पीड़ित व्यक्ति के पास न्यायलय में मुकदमा लड़ने और याचिका प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर होते हैं।

5. आतंकवाद को पोषण देने वाली परिस्थितियों को कम करना

आतंकवादी समूहों द्वारा भारतीय युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं एवं इन प्रयासों को विफल करने हेतु, भारतीय आसूचना एवं विधि प्रवर्तन संस्थाएं, निरंतर आतंकवादी समूहों के इन योजनाओं को बाधित करती रही हैं। एक बार पहचान के उपरांत, इन युवाओं को एक श्रेणीबद्ध पुलिस प्रतिकार्य के अधीन किया जाता है, जिसका उद्देश्य बहु-हितधारक परिदृश्य में कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद की समस्या को व्यापक रूप से निवारित करना है। व्यक्ति के कट्टरपंथ के स्तर के आधार पर उसके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई आरम्भ की जाती है।

कट्टरपंथ तथा चरमपंथी हिंसा के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु सरकार द्वारा सामुदायिक तथा धार्मिक नेताओं, उदारवादी प्रचारकों एवं गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग किया जाता है । इसके अतिरिक्त, युवाओं को रचनात्मक रूप से सम्मिलित किया जाता है, ताकि ऐसे मुद्दे जो शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को क्षति पहुंचाते हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। कारागृहों में कट्टरपंथ को रोकने हेतु, कारागृहों के कर्मचारियों को कट्टर कैदियों द्वारा संवेदनशील कैदियों को कट्टरपंथी बनाये जाने जैसे कृत्यों को रोकने हेतु, समय-समय पर सचेत किया जाता है तथा कई कट्टरवाद-रोधी कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं।

विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं पहलों के माध्यम से कमज़ोर वर्ग के समुदायों के बीच गरीबी एवं बेरोजगारी के मुद्दों का निराकरण किया जाता है, ताकि विद्वेषपूर्ण तत्वों को निजी लाभ लेने हेतु इन स्थितियों का दुरूपयोग करने से रोका जा सके। ऐसे समुदायों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किफ़ायती

आवास एवं स्थायी रोजगार तक पहुंच को बढ़ावा दिया जाता है। विभिन्न छात्रवृत्तियां एवं ऋण योजनाएं, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं, ताकि उन्हें शैक्षिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके।

6. अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित करना तथा उन्हें आकार देना

आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को देखते हुए, भारत के आतंकवाद-रोधी प्रयासों हेतु अंतर्राष्ट्रीय भागीदार अति-आवश्यक हैं। आसूचना साझाकरण हेतु संस्था-से-संस्था के जुड़ाव के अतिरिक्त, भारत ने आसूचना/साक्ष्य साझाकरण एवं अन्य वैधानिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहभागियों के साथ पारस्परिक क़ानूनी सहायता संधि (MLAT), प्रत्यर्पण संधि/प्रत्यर्पण व्यवस्था (ET/EA), संयुक्त कार्य समूह (JWG) एवं समझौता ज्ञापन (MoU) जैसे कई समझौते/व्यवस्थाएं की हैं। इस सहयोग का परिणाम यह हुआ है कि भारत एवं विदेशों में कई आतंकवादी/कट्टरपंथी संस्थाओं को रोका गया/उन पर आरोप तय किए गए हैं। विधि प्रवर्तन संस्थाएं भी वांछित भगोड़ों को प्रत्यर्पित/निर्वासित करने में भी सफल हुई हैं।

भारत विभिन्न आतंकवाद-रोधी मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ता है। आतंकवाद के क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय आदान-प्रदान, आतंकवादी खतरों के विरुद्ध समग्र राष्ट्रीय प्रतिकार्य के निर्माण में सहायक है।

7. समग्र-सामाजिक प्रयासों के माध्यम से पुनर्प्राप्ति एवं स्थिति-स्थापन

आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत समग्र सामाजिक प्रयासों को अपनाता है। आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी एक महत्वपूर्ण घटक रही है। यह भागीदारी आतंकी हमले की स्थिति में तेज़ी से उभरने एवं व्यवहारिक स्थिति-स्थापन लाने में सहायता करती है। सरकार द्वारा प्रभावित समुदाय को सुग्राही बनाने एवं पुनः एकीकृत करने हेतु चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, अधिवक्ताओं एवं गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक एवं सामुदायिक नेताओं सहित, नागरिक समाज के अन्य सदस्यों की सहायता भी ली जाती है। नागरिक प्रशासन, पुनर्निर्माण एवं बहाली के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाता है। पुलिस प्रशासन, अपने और अपने आसपास के क्षेत्र में निवारण हेतु सुरक्षा उपायों को सशक्त करता है, जो समुदाय को आश्वस्त करता है एवं उनके स्थिति-स्थापन को बढ़ावा देता है।

आगामी कार्य योजना

समन्वित बहु-संस्था कार्रवाईयों ने भारतीय आतंकवाद-रोधी प्रयासों में सफलता हेतु बहुत योगदान दिया है। यद्यपि, आसूचना एकत्रीकरण एवं अन्वेषण हेतु, विभिन्न संस्थाओं के मध्य आगामी सहयोग एवं सहभागिता की गुंजाइश बनी हुई है। साथ ही, उभरती चुनौतियों का प्रतिउत्तर देने हेतु, घरेलू आतंकवाद-रोधी विधिक व्यवस्था में समय-समय पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद से संबंधित घटनाओं का प्रतिउत्तर देने, उन्हें अप्रभावी बनाने एवं जाँच करने हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आतंकवाद-रोधी इकाइयों के क्षमता निर्माण की निरंतर आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, उनकी संरचना, संसाधनों, प्रशिक्षण एवं जाँच की पद्धतियों में एकरूपता महत्वपूर्ण हो जाती है।

आतंकवादी कृत्य करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कारवाई करने हेतु, उचित प्रकरण पंजीकृत करने से लेकर अभियोजन तक, अन्वेषण के हर चरण में विधिक विशेषज्ञों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

बाहरी आतंकवादी समूह आजकल हमले करने के लिए स्थानीय संगठनों के बुनियादी ढांचे, संभारिकी एवं भू-भाग के ज्ञान का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग के साथ मिलकर, अंतर-राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती के निराकरण में प्रमुख कारक है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहभागिता हेतु प्रतिबद्ध है। आतंकवाद की समझ एवं आतंकवाद के पीड़ितों के अधिकारों के बारे में आम सहमति बनाने हेतु, भारत अपनी आतंकवाद-रोधी नीति एवं रणनीति 'प्रहार' को अपनाते हुए, अंतर-राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक परिपाटी हेतु कार्य जारी रखेगा, जिसका उद्देश्य सभी तरह के आतंकवादी कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखना तथा आतंकवादियों, उनके वित्तपोषकों एवं समर्थकों को धन, शस्त्र तथा सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच से वंचित रखना है।

भारत आतंकवादी उद्देश्यों हेतु सूचना एवं संचार तकनीकी के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती का मुकाबला करने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर अपने प्रयास जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त, भविष्य में सूचना एवं संचार तकनीकी के संकटों को कम करने हेतु, प्रौद्योगिकी में निवेश एवं निजी उद्यमों के साथ साझेदारी पर उचित ध्यान देना सम्मिलित है।